

# न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आरटीएस)

दिनांक: 2.5.18

मि.न017/2018

सरकार बनाम प्रहलाद

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्याण पुरा कला ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम कल्याण पुरा कला तहसील कोटपूतली के ख0 न0 494/0.06 किस्म जमीन सिवाय चक में से 0.03 है भूमि पर प्रहलाद पुत्र जयमल जाति गुजर निवासी कल्याण पुरा कला तहसील कोटपूतली ने बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये । अत गैर सायल के विरुद एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतः गैर सायल प्रहलाद पुत्र जयमल जाति गुजर निवासी कल्याण पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कल्याण पुरा कला तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 494/0.06 किस्म जमीन सिवाय चक में से 0.03 है पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात से गैरसायल प्रहलाद पुत्र जयमल जाति गुजर निवासी कल्याण पुरा को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.96 का पचास गुणा 48रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली, पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 2.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2018 - 019 के रा० ल० १  
के पृष्ठ संख्या 190 पर 48-22  
हयये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार  
कोटपूतली